



दिनांक: 22.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 12 बोतल फर्स्ट चाँइस देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, मादक पदार्थ/ अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.06.2024 को मुखबीर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त कादिर पुत्र इरफान निवासी ग्राम मोहदीनपुर उर्फ नानूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को कासमपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12 बोतल देशी शराब फर्स्ट चाँइस देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद की गयी। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर अभियुक्त कादिर उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 95/24 धारा 60/63आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं हरियाणा राज्य से शराब सस्ते दाम में खरीद कर यहां आस पास के क्षेत्र में मंहगे दाम पर बेच देता हूं। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मैं यह शराब बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कादिर पुत्र इरफान निवासी ग्राम मोहदीनपुर उर्फ नानूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 20/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 214/22 धारा 380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 197/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 12 बोतल फर्स्ट चाँइस देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 संजीव यादव थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2028 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 22.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 06 बोतल
देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, मादक पदार्थों/शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर ने निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.06.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त **नादिर पुत्र गफ्फार निवासी मुस्लिम कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को बडकला फलाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से **06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का** बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर में **मु0अ0सं0 122/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नादिर उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त नादिर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं शराब हरियाणा से कम दामों में खरीद कर यहाँ आस पास के क्षेत्र में मंहगे दाम मे बेच देता हूं। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मैं यह शराब बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नादिर पुत्र गफ्फार निवासी मुस्लिम कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
- है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में 01 शातिर मोटर साइकिल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.2024 को वादी श्री पप्पू पाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम मंडवार थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा भरत चाट भण्डार कस्बा छुटमलपुर के समाने से कल दिनांक 21.06.2024 को वादी की मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नं0 UK17N8704 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 123/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमे का सफल अनावरण करने एवं चोरी गयी मोटर साइकिल तथा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.06.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर अभियुक्त रितिक सैनी पुत्र पवन सैनी निवासी ग्राम गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को छुटमलपुर कट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी गयी 01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त रितिक सैनी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा करने का आदि हूं, तथा मजदूरी का काम करता हूं। नशा करने के लिये मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने कल यह मोटर साइकिल कस्बा छुटमलपुर में भरत चाट भण्डार के सामने से चोरी की थी जिसको आज मैं बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रितिक सैनी पुत्र पवन सैनी निवासी ग्राम गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नं0 UK17N 8704

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर